International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 08-01-2022, Accepted: 23-01-2022, Published: 08-02-2022
Volume 8, Issue 1, 2022, Page No. 96-109

विदर्भ का कृषि परिदृश्यः देशज समाज कार्य हस्तक्षेप की संभावनाएं

अभिषेक कुमार राय
शोधार्थी, समाज कार्य, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र, भारत

सारांश
भारतीय जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा (60%) कृषि पर निर्भर है जिनकी आजीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि है। यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को आधार प्रदान करने के साथ ही देश की खाद्य और पोषण सुरक्षा को मजबूत बनाती है। देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में इसका हिस्सा लगातार घटकर मात्र 20.19 प्रतिशत (2020–21) रह गया है। वहीं सकल घरेलू उत्पाद में अन्य क्षेत्र का हिस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और कृषि का हिस्सा पिछड़ता जा रहा है।
इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आय असंतुलन, एक पेशे के रूप में कृषि व्यवसाय के सम्मान में कमी और किसानों की गरिमा में क्षरण का संकट पैदा हुआ है।
परिणाम स्वरूप देश में 'किसान आत्महत्या' एक गंभीर संकट बनकर उभरा है, जो देश, कृषि एवं किसान सभी के लिए प्रतिकूल है। 1995 से 2018 तक देश में 4 लाख से अधिक किसान अपना जीवन समाप्त कर चुके है। विदर्भ में किसान आत्महत्या की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जो ढ़ाई दशक से जारी है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार के कई कृषि योजनाओं, पैकेजों, किसान कर्जमाफी के बाद भी यहां किसानों के हालात में सुधार देखने को नहीं मिल रहा है और किसान आत्महत्याएं बढ़ती जा रही हैं। 2001 से 2018 तक विदर्भ में 17,547 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। वही 2019 में 1,108 किसान और 2020 में 1,230 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। विदर्भ का किसान बढ़ती कृषि लागत एवं किसान कर्ज, कम उत्पादकता एवं फसलों की कीमत में गिरावट, कृषि सिंचाई की कमी एवं प्राकृतिक आपदा, ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं के अभाव एवं अंतर्दृष्टि की कमी एवं कर्जमाफी की राजनीति से जूझ रहा है, जो उनके दीर्घकालिक समाधान की जगह अल्पकालिक समाधान दे कर चली जाती है। विदर्भ में पहले बहु–फसली खेती की संस्कृ ति थी, जिसमें कम पूंजी, कम सिंचाई, कम खाद एवं स्वयं के बीज होते थे, जो किसान को कर्ज की तरफ नहीं जाने देते थे। तब यहां की खेती किसान केंद्रित होती थी, लेकिन आज विदर्भ में नकदी खेती की संस्कृति जोरों पर है। जिसके लिए भारी पूंजी, खाद, उर्वरक, सिंचाई के बाद भी किसान कम उत्पादकता, दाम की अस्थिरता, लागत मूल्य का लाभ नहीं मिल पाने से कर्ज में फँस जाता है। जिसका कारण खेती का किसान केंद्रित होने के बजाय बाजार केंद्रित होना है। आज विदर्भ में फसल बहु–विविधता, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा तथा ग्रामीण आबादी की आजीविका के लिए कृषि में सतत विकास की आवश्यकता है। इस शोध पत्र का 'मुख्य उद्देश्य' यह देखना है कि विदर्भ में खेती की स्थानीय पद्धति की विशिष्टता क्या थी? और यह विदर्भ में कैसे लुप्त हुई? साथ ही विदर्भ की खेती में सुधार एवं सतत विकास में देशज समाज कार्य क्या हस्तक्षेप कर सकता है? यह शोध मुख्यतः गुणात्मक प्रकृति पर आधारित है, जिसमें गुणात्मक प्रविधि, उपकरण का प्रयोग करते हुए धरातलीय तथ्यों का संकलन किया गया है और विषयगत विश्लेषण से शोध पत्र की व्यापक व्याख्या कर विश्लेषण एवं संभावित देशज समाज कार्य हस्तक्षेप प्रस्तुत किया गया है।

मूल शब्दः विदर्भ, कृषि, किसान, आत्महत्या एवं देशज समाज कार्य हस्तक्षेप

प्रस्तावना
महाराष्ट्र देश का दूसरा प्रमुख कपास उत्पादक राज्य है। महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र कपास उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। कपास यहां के किसानों की आर्थिक समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, जिसे सफेद सोना भी कहा जाता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के पूर्व से ही इस क्षेत्र में कपास की खेती होती रही है, लेकिन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की वाणिज्य एवं व्यापार की आर्थिक लाभ की नीति एवं दबाव, औद्योगिक क्रांति एवं कपास निर्यात से इस क्षेत्र में कपास उत्पादन का विस्तार हुआ जो आजादी के बाद भी जारी रहा। आजादी से पहले और बाद तक किसान पारंपरिक ज्ञान एवं पारंपरिक कृषि प्रथाओं से गुणवत्तापूर्ण देशी कपास, मोटे अनाज, तिलहन एवं दलहन की फसलों का उत्पादन करते थे। जिसमें देशी जलवायु अनुकूल बीज, जैव–उर्वरक एवं कीटनाशक का उपयोग होता था। किसान स्वावलंबी एवं कृषि टिकाऊ थी, लेकिन आज यह कपास उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र किसान आत्महत्या प्रवण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। 1960 के मध्य में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए देश में 'हरित क्रांति' की नीति लागू हुई। जिसमें पारंपरिक बीजों के स्थान पर उच्च उपज देने वाली उन्नत संकर किस्मों की शुरुवात हुई। कृषि में अत्यधिक मशीनीकरण, रसायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, सिंचाई के लिए प्राकृतिक जल का दोहन आरंभ हुआ। जबकि विदर्भ की अधिकतर कृषि मानसून आधारित थी। हरित क्रांति के फलस्वरूप कृषि उत्पादन बढ़ा, नगदी फसलों की खेती में विस्तार हुआ, किसानों में समृद्धि आनी आरंभ हुई, लेकिन उसके साथ–साथ खेती की लागत भी बढ़ती गई। जिसका सीधा प्रभाव छोटे एवं सीमांत किसानों पर पड़ने लगा और वह ऋणग्रस्तता के जाल में फसने लगे। कृषि की पारंपरिक प्रथाओं, देशी बीज, फसल विविधता, पशुधन आधारित टिकाऊ एवं स्वावलंबी खेती सीमित होती गई। बाजार आधारित खेती का उदय हुआ जिसमें अधिकतर कृषि

निविष्ट (इनपुट) बाजार से लेना किसान की मजबूरी एवं आवश्यकता बन गई। इससे किसान की एक निश्चित आय बाहर जाने लगी। विदर्भ में 1970 के आरंभ में 'विकसित संकर कपास' की किस्मों की शुरुआत हुई। जिसमें अधिक उत्पादन लेने के लिए अत्यधिक रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करने लगे। आरंभ के वर्षों में उत्पादन बढ़ा लेकिन 1990 के बाद के वर्ष में उत्पादन घटने लगा, मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर होने लगी, सिंचाई का संकट उभर कर सामने आया, फसल में रोग (बॉलवार्म) की प्रवृत्ति अधिक देखी गई। 2002 के मध्य तक विदर्भ में अधिकांश छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए कपास की खेती गैर–लाभकारी होने लगी। कपास का उत्पादन घटने लगा, कृषि निविष्ट (इनपुट) की लागत बढ़ी, उत्पादन की गुणवत्ता एवं उपज की कीमत में अस्थिरता पैदा हुई, किसानों में ऋणग्रस्तता, आर्थिक असुरक्षा का दबाव एवं मानसिक तनाव की प्रवृत्ति विकसित हुई जिसकी परिणति किसान आत्महत्या जैसा गंभीर कृषि संकट पैदा हुआ। यह कृषि संकट आज भी बना हुआ है। विदर्भ में हर वर्ष औसतन हजार से ऊपर किसान अपनी जिंदगी समाप्त कर रहे हैं। किसान नगदी फसलों की खेती, अस्थिर आय, ऋणग्रस्तता, मानसिक दबाव एवं आत्महत्या जैसे कारकों के इर्द–गिर्द घूम रहे है। सरकार के कई कृषि कार्यक्रमों, योजनाओं, कर्जमाफी के प्रयासों के बाद भी किसानों को उचित समाधान नहीं मिल पाया है। किसान को एक टिकाऊ खेती एवं स्थिर आय की सुरक्षा के साथ ऋणग्रस्तता एवं मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए विदर्भ की कृषि में सुधार एवं सतत विकास की दरकार है।

प्रस्तुत शोध–पत्र प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्यों के स्रोत से विदर्भ में कृषि संकट के प्रमुख कारण एवं परिणाम, विदर्भ में खेती की वर्तमान चुनौतियां, विदर्भ में खेती–किसानी की वर्तमान चुनौतियों का परिणाम एवं प्रभाव का विश्लेषण करता है। इसके साथ ही विदर्भ में खेती–किसानी की स्थानीय पद्धति की विशिष्टता की पहचाना करता है और उसके कमजोर होने के कारणों की पड़ताल करता है। विदर्भ की कृषि में सुधार एवं सतत विकास के लिए देशज समाज कार्य हस्तक्षेप की संभावनाओं की तलाश करता है। कृषि में सुधार एवं विकास के लिए पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ कृषि की आवश्यकता है। जिसके लिए स्थानीय ज्ञान परंपरा तथा पारंपरिक कृषि प्रथाओं को देखना आवश्यक है। वर्तमान समय में किसान केवल आधुनिक कृषि पद्धति की तरफ आकर्षित है। कृषि में किसी एक पद्धति के आधार पर कृषि में सुधार एवं विकास संभव नहीं है। इसलिए हमें कृषि में आधुनिक एवं पारंपरिक प्रथाओं में मौजूद सतत अभ्यास एवं टिकाऊ कृषि पद्धति को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। कृषि को आर्थिक रूप से फायदेमंद बनाने के लिए हमें परंपरागत ज्ञान, पर्यावरणीय चेतना, जैव–प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार तकनीक से जोड़ने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से देशज समाज कार्य हस्तक्षेप इसे देखने एवं विकल्प प्रदान करने का प्रयास करता है, ताकि कृषि में फसल बहु–विविधता, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा और ग्रामीण आबादी की बेहतर आजीविका का निर्माण संभव हो सके।

विदर्भ

मध्य भारत में स्थित विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का एक उत्तर–पूर्वी उपक्षेत्र है, जिसमें महाराष्ट्र राज्य के दो डिवीजन अमरावती एवं नागपुर के 11 जिले शामिल है।

विदर्भ का क्षेत्रफल 97,321 वर्ग किमी है, जो महाराष्ट्र राज्य के कुल क्षेत्रफल का 31.6 प्रतिशत एवं जनसंख्या 23,003,179 है, जो महाराष्ट्र राज्य की कुल जनसंख्या का 21.3 प्रतिशत है। विदर्भ की सीमा उत्तर में मध्य–प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम में तेलंगाना राज्य से लगी हुई है। विदर्भ में मराठी एवं हिंदी भाषा बोली जाती है। विदर्भ के बड़े शहरों में नागपुर, अमरावती, यवतमाल, अकोला शामिल है। विदर्भ क्षेत्र संतरा और कपास के लिए जाना जाता है। यह खनिज एवं वन संसाधन के लिए भी जाना जाता है। विदर्भ में राज्य के खनिज का दो–तिहाई एवं वन संसाधन का तीन–चौथाई हिस्सा स्थित है। इसके बावजूद भी यह उपक्षेत्र महाराष्ट्र एवं देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक रूप से कम समृद्ध माना जाता है।

विदर्भ का कृषि परिदृश्य

विदर्भ में आजीविका का प्रमुख स्रोत कृषि है। यह क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति भी अधिक संवेदनशील क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। यहां की अधिकांश मिट्टी गहरी काली है। विदर्भ के पूर्वी भाग में नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली और चंद्ररपुर जिला शामिल है, वही पश्चिम भाग में वर्धा, अमरावती, यवतमाल, अकोला, बुलढाणा और वाशिम जिला शामिल है। विदर्भ का पूर्वी भाग चावल क्षेत्र के रूप में तो पश्चिमी भाग कपास क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। विदर्भ में कपास सहित अन्य नगदी फसलों के उत्पादक किसानों में आत्महत्या की दर बहुत अधिक देखी जाती है। एक समय में कपास एक समृद्ध प्राकृतिक संसाधन था, जो किसान की आजीविका को सुरक्षा प्रदान करने के साथ राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता था। जिसे किसान सफेद सोना समझते थे। लेकिन आज स्थिति चिंताजनक है। विदर्भ का पश्चिमी कपास क्षेत्र का भाग किसान आत्महत्या का केंद्र बन गया है। जहां अन्य भाग की तुलना में अधिक प्रचलित आत्महत्या की प्रवृति देखने को मिलती है। किसान नगदी फसल एवं मानसून पर निर्भर खेती, खेती की बढ़ती लागत, अनिश्चित होती आय के दुष्चक्र में फँस जाते हैं। जिसके बाद वह अपने पारिवारिक दायित्वों को निभाने में विफल महसूस करते हैं और आत्महत्या के लिए मजबूर होते है। वहीं 'इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस' का मानना है कि विदर्भ के किसानों को मानसिक परामर्श देने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए और उनके लिए विशेषज्ञ और प्रशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति करनी चाहिए। क्योंकि विदर्भ के साठ प्रतिशत किसान मानसिक अवसाद से जूझ रहे हैं। किसानों में जबदस्त हताशा एवं गंभीर मानसिक बीमारियों से जुड़े लक्षण दिखाई दे रहे हैं। किसान बेमौसम बरसात, मानसून की विफलता, नगदी फसलों की बढ़ती लागत, सूखा, ऋण के बढ़ते बोझ से गैर–लाभकारी होती कृषि से जूझ रहा है।

विदर्भ के सभी जिलों में वर्षा का वितरण एक समान देखने को नहीं मिलता है। इसलिए विदर्भ के अधिकतर भागों में जल संकट की स्थिति बनी रहती है। विदर्भ में दक्षिण–पश्चिम मानसून जून के दूसरे सप्ताह तक आ जाता है और अक्टूबर के अंत तक बारिश समान्यतया कम हो जाती है। सर्दियों में वर्षा कम एवं अनिश्चित रहती है। विदर्भ के पश्चिमी भाग में वार्षिक वर्षा 700 से 950 मिमी. और पूर्वी भाग में 1250 मिमी. से अधिक दर्ज की जाती है। वर्षा में अत्यधिक स्थानिक

परिवर्तन अमरावती जिले में देखने को मिलता है, जहां विभिन्न तालुका में वर्षा 700 से 1600 मिमी. दर्ज की जाती है। विदर्भ में वर्षा की अवधि समान्यतया 45 से 65 दिनों के बीच देखने को मिलती है। अमरावती जिले का चिखलधरा एवं धारनी तालुका, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली एवं चंद्रपुर जिले के कुछ भागों में 1000 से 1600 मिमी. की उच्च वार्षिक वर्षा देखने को मिलती है। जुलाई का महीना सबसे अधिक बारिश का होता है। हालांकि मानसून की अनिश्चितता एवं बारिश की कमी से शुष्क मौसम पैदा होता है, जो इस क्षेत्र में गंभीर सूखे का कारण बनता है। गंभीर सूखे की स्थिति तीन से चार साल में एक बार विकराल रूप लेती है।

विदर्भ में बारिश (खरीफ) के समय कपास, सोयाबीन, अरहर, धान, ज्वार एवं मक्का प्रमुख रूप से लगायी जाने वाली फसलें हैं, वहीं शीत ऋतु (रबी) में गेंहू एवं चना प्रमुख रूप से लगायी जाने वाली फसल है। प्रमुख नगदी फसलों में कपास, सोयाबीन और संतरा की खेती की जाती है, जबकि पारंपरिक फसलों में धान, ज्वार, बाजरा एवं मक्का की खेती की जाती है। विदर्भ में सबसे अधिक कपास एवं सोयाबीन की फसल उगाई जाती है, लेकिन कपास एवं सोयाबीन की फसल में किसानों को उच्च लागत एवं प्राकृतिक चुनौती के साथ कम लाभकारी मूल्य प्राप्त होता है, जो कृषि में उच्च संकट का कारण बनता है। विदर्भ में जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान, मानसून की अनिश्चितता, बारिश के प्रतिरूप में बदलाव जैसे अनेक कारणों की बढ़ती आवृत्ति एवं अवधि का सीधा असर कृषि पर पड़ रहा है। जिससे कृषि कमजोर हो रही है और उत्पादन गिर रहा है। विदर्भ के लिए अनुमानित मासिक परिवर्तन दर्शाते हैं कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान और बारिश दोनों में महीने दर महीने काफी भिन्नता है। खरीफ की पहली छमाही में बारिश कम रहने का अनुमान है, जबकि कपास, सोयाबीन की बुवाई एवं धान की रोपाई के लिए जून से जुलाई की बारिश महत्वपूर्ण मानी जाती है। वहीं रबी (शीत ऋतु) सीजन में न्यूनतम तापमान वर्तमान तापमान की तुलना में 2.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का अनुमान है। जिसका प्रभाव गेहूं, चना एवं अन्य फसलों के उत्पादन पर पड़ेगा।

इस जलवायु परिवर्तन का समग्र प्रभाव कृषि पर नकारात्मक पड़ने का अनुमान है, जिससे खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, कृषि, आजीविका एवं पारिस्थितिकीय स्थिरता प्रभावित होगी। इससे बचने के लिए जलवायु अनुकूल फसल, परंपरागत खेती, जल संरक्षण एवं प्रबंधन इत्यादि पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी।

किसान आत्महत्या और विदर्भ

1990 के दशक के आरंभ में अपनाई गई उदारीकरण एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था की नीति ने जहां भारत को एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था का रूप दिया है। वहीं सार्वजनिक एवं निजी पूंजी निवेश से विश्व की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (आईएमएफ रैंकिंग 2021) बनाने में भी अहम योगदान दिया है। लेकिन विदर्भ सहित भारत के कई क्षेत्रों के गांवों में किसानों का जीवन जटिल हो गया है। जिसमें छोटे एवं सीमांत किसान कृषि संकट के परिणाम स्वरूप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। एक तरफ जहां कृषि जमीन का आकार घटता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कृषि में विपरीत परिस्थितियों के कारण कृषि गैर–लाभकारी और किसान को आजीविका चलाना कठिन हो रहा है। देश में आर्थिक असमानता का दायरा बढ़ता जा रहा है। आज शीर्ष 1 प्रतिशत भारतीयों के पास देश की संपत्ति का 33 प्रतिशत हिस्सा है। शीर्ष 10 प्रतिशत के पास देश की 64.6 प्रतिशत संपत्ति है, वहीं नीचे के 50 प्रतिशत भारतीयों के पास केवल 5.9 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। (वर्ल्ड अनइक्वल रिपोर्ट 2021) एक उदारीकृत एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था ने बहुत से किसानों को उन समस्याओं में उलझा दिया, जो उनकी समझ से परे थी। परिणाम स्वरूप 2000 के दशक की शुरुवात में 'किसान आत्महत्या' की घटना बढ़नी आरंभ हुई, जो अभी भी जारी है। एनसीआरबी की वार्षिक रिपोर्ट के आंकड़ों की गणना की जाय तो 1995 से 2018 तक देश में लगभग 4,00,000 से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं। वहीं इसी अवधि में महाराष्ट्र में लगभग 72,712 किसानों ने अपना जीवन समाप्त किया है। यह सच्चाई है कि 30 साल के उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ने भारतीयों के एक वर्ग को सपनों का जीवन जीने में मदद की है, लेकिन किसान और ग्रामीण आबादी के एक विशाल वर्ग के लिए यह कभी न खत्म होने वाली मंदी की तरह उथल–पुथल एवं किसान आत्महत्या का दौर रहा है। महाराष्ट्र में विदर्भ का कपास क्षेत्र किसान आत्महत्या का केंद्र बना, जहां आज भी किसान आत्महत्या जारी है। विदर्भ में 2001 से 2018 तक विदर्भ में 17,547 किसान आत्महत्या (तालुले, 2020) कर चुके है। व

ही 2019 में 1,108 किसान और 2020 में 1,230 किसान आत्महत्या (टाइम्स ऑफ इंडिया, 2020) कर चुके है। इसमें कोई शक नहीं कि किसान आत्महत्या गंभीर कृषि संकट का परिणाम है, जिसके लिए किसी एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। फिर भी सवाल उठता है कि विदर्भ के किसान को क्या हुआ है? वह अपना जीवन क्यों खत्म कर रहे हैं? किसान खेती की बढ़ती लागत, कर्ज, मानसून की अनिश्चितता, पानी की कमी, गिरते उत्पादन, कीमतों में उतार–चढ़ाव, गरीबी, कृषिगत असंतुलन से कैसे बचें? खेती के सुधार में देशज समाज कार्य हस्तक्षेप क्या विकल्प दे सकता है? इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

देशज समाज कार्य हस्तक्षेप

देशज समाज कार्य हस्तक्षेप स्थानीय विचारों, दृष्टिकोणों, प्रतिरूपों एवं प्रथाओं को विकसित करने की एक प्रक्रिया है। जिसमें एक सामाजिक कार्यकर्ता अथवा विकासात्मक संगठन अपने क्षेत्रीय अनुभव, ज्ञान, कौशल, नवाचार की सीख एवं अभ्यास से उस क्षेत्र विशेष की स्थानीय आवश्यकता अथवा समस्याओं के समाधान के लिए हस्तक्षेप करते है, जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र अथवा संदर्भ के लिए सबसे उपयुक्त हो। देशज समाज कार्य हस्तक्षेप द्वारा स्थानीय लोगों (व्यक्ति, समूह, समुदाय) को बेहतर सेवाएं एवं समाधान उपलब्ध कराया जाता है। जिसमें स्थानीय लोगों की चिंताओं, आवश्यकताओं, स्थानीय संस्कृति, परंपरा, मूल्य, समूहिक ज्ञान, अनुभव, सामाजिक भागीदारी को केंद्र में रखते हुए हस्तक्षेप किया जाता है। देशज समाज कार्य हस्तक्षेप में असंख्य सामाजिक कार्यकर्ताओं, समाज सुधारकों, सामाजिक विचारकों की शिक्षा, चिंतन, विचार, प्रयोग, प्रयास, अनुभव एवं अभ्यास शामिल रहता है। जिसे स्थानीय देशज प्रयोग एवं मॉडल के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। जिनका प्रतिपादन स्थानीय लोगों की भलाई एवं बेहतरी के लिए किया जाता है। देशज समाज कार्य स्थानीय समाज की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा की विशेषता का विशेष हिस्सा है, जो देशज ज्ञान परंपरा का बोध

कराती है और अपने क्षेत्रीय अनुभव एवं स्वदेशी नवाचारों से सीखने एवं अभ्यास करने की अनुमति देती है। देशज समाज कार्य हस्तक्षेप स्थानीय ज्ञान परंपरा और क्षेत्रीय कार्यप्रणाली के अनुभव एवं कौशल से व्यवहारिक अभ्यास को प्रभावी बनाने, स्थानीय समस्याओं का समाधान तलाशने, बेहतर सेवाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के साथ व्यक्ति, समूह एवं समुदाय की ताकत बढ़ाने में कारगर सिद्ध होता है।

देश में वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के प्रभावों ने जहां देश में समग्र आर्थिक विकास को गति प्रदान की है, वहीं ग्रामीण समाज में असमानता, गरीबी, बेरोजगारी की खाई भी पैदा की है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्राथमिक स्रोत कृषि आज अस्थिरता, विलगाव, अवहनीयता, अपोषणीयता, अलाभकारी एवं किसान आत्महत्या जैसे गंभीर कृषि संकट से जूझ रही है। परिणाम स्वरूप सरकारी एवं गैर–सरकारी संगठन अपने व्यवहारिक अभ्यास, कार्यक्रम, प्रयोग एवं प्रयास से इस गंभीर कृषि संकट से निपटने में जुटे हैं। हालांकि बहुत से शोध एवं सामाजिक वैज्ञानिक संकेत देते हैं कि पश्चिमी दृष्टिकोण, अभ्यास एवं मॉडल के आधार पर स्थानीय कृषि संकटों से नहीं निपटा जा सकता है। कई मुख्यधारा के समाज कार्य विद्वान मानते हैं कि पश्चिमी समाज कार्य अभ्यास अक्सर सहायक नहीं होते हैं और वास्तव में कुछ स्थितियों में यह स्थानीय व्यक्तियों, परिवारों एवं समुदायों के लिए यह हानिकारक भी हो सकते हैं। यह हाल के दिनों में समाज कार्य विद्वानों, अभ्यासकर्ताओं एवं शोधकर्ताओं द्वारा पहचाना जा रहा है और माना जा रहा है कि स्थानीय समस्याओं के समाधान में देशज समाज कार्य हस्तक्षेप पर जोर देने की आवश्यकता है। जिसमें देशज दृष्टिकोण की समग्रता, देशज पारंपरिक ज्ञान एवं अनुभव, स्थानीयता, पारस्परिकता, आध्यात्मिकता, भागीदारी एवं सहायता जैसे मूल्य शामिल हैं। इसलिए विदर्भ जैसे किसान आत्महत्या–प्रवण क्षेत्र में व्याप्त कृषि संकट से निपटने के लिए देशज समाज कार्य हस्तक्षेप को देखना आवश्यक हो जाता है।

साहित्य पुनरावलोकन

तालुले ज्ञानदेव (2020) का शोध पत्र विदर्भ एवं मराठवाडा में होने वाली किसान आत्महत्या की संख्या और आत्महत्या दर की गणना करता है, ताकि किसान आत्महत्या जैसी गंभीर समस्या की व्यापकता को अधिक गहराई से समझा जा सके। किसान आत्महत्या में मानसून की विफलता, पानी की कमी, सूखा, सामाजिक सुरक्षा की कमी, मजबूत फसल खरीद तंत्र के अभाव एवं बढ़ते कर्ज के बोझ जैसे मुद्दों के बीच संबंध का पता चलता है। किसान आत्महत्या देश के कई राज्यों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कृषि संकट का एक दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम है। ढाई दशक से विदर्भ में बहुत अधिक किसान आत्महत्या दर्ज की जा रही है। किसान आत्महत्या एक जटिल घटना है। आत्महत्या से होने वाली मौतों का आंकलन करना आसान है, लेकिन कारणों को पूरी तरह से समझना मुश्किल है। भारतीय दंड संहिता से जुड़ा होने के चलते आत्महत्या एक अपराधिक कृत्य और सामाजिक कलंक के रूप में देखा जाता है। दूसरी तरफ किसान और खेतिहर मजदूर में अंतर है, जिसके अनुसार खेतिहर मजदूर की आत्महत्या को किसान आत्महत्या नहीं माना जाता है। जबकि कुछ देशों में खेतिहर मजदूर की आत्महत्या को किसान आत्महत्या ही समझा जाता है। किसान आत्महत्या के अनुमान को जटिल बनाने में पात्र एवं अपात्र किसान आत्महत्या भी है, जहां मृत किसान के नाम भूमि रिकार्ड अर्थात किसान के नाम पर जमीन रहने पर ही उसे किसान आत्महत्या (महाराष्ट्र) माना जाता है। इस प्रकार किसान आत्महत्या को बहुत कम कर के आंका जाता है, जबकि इन्हें शामिल किया जाता तो किसान आत्महत्या का अनुमान दोगुना हो सकता है। जनवरी 2001 से जुलाई 2018 तक विदर्भ में 17,547 किसान आत्महत्या कर चुके है। इसी अवधि में विदर्भ के अमरावती डिवीजन में 13,640 किसान तथा नागपुर डिवीजन 3,907 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। जबकि आत्महत्या के कुछ मामलों के रिपोर्ट न होने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। कृषि की दृष्टि से दोनों डिवीजन में जल संकट बना रहता है। इसलिए अक्सर मानसून की विफलता से इस क्षेत्र में सूखा पड़ता है और मरने वाले किसानों की संख्या बढ़ जाती है। 2001 से 2018 के बीच विदर्भ का यवतमाल (4056), अमरावती (3444), बुलढाणा (2528), अकोला (2160), वर्धा (1606), वाशिम (1452), और नागपुर (722) जिले में सबसे अधिक किसान आत्महत्या की घटनाएं दर्ज की गई है।

डॉ. जी. एन. निमबारते (2016) का शोध पत्र कृषि संकट के संदर्भ में सवाल उठाता है कि कृषि हमारी पहचान का अभिन्न अंग है, लेकिन किसान राज्य के साथ–साथ समाज की उपेक्षा का शिकार क्यों है? शोध पत्र किसानों की स्थिति को पांच आयाम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक एवं तकनीकी संदर्भ से देखने का प्रयास करता है और बताता है कि किसान आत्महत्या एक गंभीर समस्या बन गया है। महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र इस तबाही के लिए बदनाम हो गया है, जो धीरे–धीरे किसान समुदाय की भावना को मार रहा है। विदर्भ में लगभग 34 लाख किसान कपास का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन इनमें 95 प्रतिशत किसान कर्ज से जूझ रहे हैं। विदर्भ के अधिकतर गांवों में बुनियादी सुविधाओं (सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा) की आवश्यकता है। कपास किसान बीज, कीटनाशक, उर्वरक, बिजली, पानी, श्रम जैसे अनेक लागत के लिए भारी कीमत चुकाता है, जबकि कपास की कम उत्पादकता एवं कीमत किसानों को हतोत्साहित कर रही है। पिछले एक दशक में महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या कर चुके है, जिनमें से 70 प्रतिशत से अधिक किसान विदर्भ क्षेत्र के 11 जिलों के है। मुख्य रूप से गिरती भूमि की उर्वरता, जल संसाधनों की कमी, नई तकनीक की कमी, किसानों में जागरूकता का अभाव एवं सरकारी लापरवाही के कारण किसान उच्च संकट का सामना कर रहे है। परिणाम स्वरूप किसान कर्ज बढ़ता जा रहा है और किसान आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं। शोध पत्र अपने निष्कर्ष में बताता है कि प्राकृतिक आपदा के कारण अधिकांश किसान को कृषि में भारी नुकसान होता है, जिससे किसान आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है। सिंचाई सुविधाओं की कमी और फसल की कम उत्पादकता से किसान जूझ रहा है। केवल बड़े किसानों तक नवीन तकनीक एवं उपकरण की पहुंच है, जबकि छोटे किसानों की संख्या अधिक है। कृषि की बढ़ती लागत और किसान का बढ़ता कर्ज किसान को पीछे धकेल रहा है। सरकारी समर्थन का अभाव एवं प्रशासनिक तंत्र की लापरवाही इसे रोकने में विफल है। इसे बेहतर करने के लिए सिंचाई सुविधाओं, नवीन तकनीक एवं उपकरण को बढ़ावा देने के साथ कम दर पर ऋण एवं सब्सिडी सुविधा का प्रावधान करना चाहिए।

किसान जागरूकता कार्यक्रम, परामर्श कार्यक्रम पर ध्यान देने के साथ सरकारी एवं गैर–सरकारी संगठनों, समितियों की सकारात्मक, स्वस्थ्य एवं प्रभावी भूमिका की अपेक्षा है। समस्या समाधान के लिए किसानों के सशक्तिकरण के साथ

दीर्घकालिक समाधान के लिए बहु–आयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। डॉ. राजू एम एवं अन्य (2016) का शोध पत्र 'भारत और विदर्भ' में किसान आत्महत्या को कम करने अथवा रोकने तथा कृषि में स्थिरता की आवश्यकता को समझने और उनका विश्लेषण करने का प्रयास करता है। 1991 में आंध्र प्रदेश से किसान आत्महत्या की प्रवृति देश के कई राज्यों के साथ महाराष्ट्र तक फैल गई। महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र किसान आत्महत्या का केंद्र बन गया, जो किसानों के लिए आज भी आत्मघाती सिद्ध हो रहा है। विदर्भ में फसलों का गैर–उत्पादन, खराब ऋण व्यवस्था, सूखा, बाजारों की कमी, विपणन एवं सिंचाई सुविधाओं का अभाव के साथ किसानों के सामाजिक एवं पारिवारिक कारण ने किसान आत्महत्या को बल दिया, इसलिए किसान आत्महत्या के लिए किसी एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। विश्व व्यापार संगठन और जीएटीटी का वैश्विक परिदृश्य भी भारतीय किसानों को अपने समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा में असमर्थ बनाता है। परिणाम स्वरूप किसान अपनी बेहतर गुणवत्ता वाला कपास सस्ती दरों पर बेचने के लिए विवश होता है। बड़े किसान नवीनतम कृषि तकनीक से सक्षम हैं और बेहतर गुणवत्ता के कपास का उत्पादन करते हैं, इसके विपरीत छोटे किसान मैन्युअल रूप से उधार लिए गए ऋण और भारी ब्याज के साथ खेती करते हैं। छोटे किसानों को बैंक या साहूकार के ऋण पर खेती करना पड़ता है। किसानों को ऋण, भारी ब्याज, बाहरी बीज के साथ सिंचाई की कमी, सब्सिडी सुविधा के अभाव के साथ बाजार की बाधाओं के बीच जूझना पड़ता है। परिणाम स्वरूप छोटे किसान न तो घरेलू और न ही अंतरराष्ट्रीय बाजार तक अपनी पहुंच बना पाते हैं। इसलिए किसानों की गंभीर समस्या को देखते हुए कृषि में एकीकृत तरीके से विचार करने की आवश्यकता है। कृषि में रसायन, उर्वरक और आनुवांशिक बीज से फसल उत्पादन में अस्थायी वृद्धि देखी गई है, लेकिन एक लंबे समय के बाद यह अप्रभावी साबित हुआ है। यह पर्यावरण को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रहा है। इसलिए कृषि में स्थिरता के लिए जैविक खेती में अधिक निवेश की आवश्यकता है, जो लंबे समय तक कृषि में टिकाऊ हो सकती है।

डॉ. विभा दिवान (2017) का शोध पत्र भारत में पानी की उपलब्धता, कृषि में इसका उपयोग एवं कृषि में विकसित जल स्मार्ट प्रौद्योगिकी की वर्तमान स्थिति एवं स्थिरता की ओर बढ़ने की समीक्षा करता है। कृषि उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। कृषि सिंचाई के बुनियादी ढांचे में नदी, भूजल, तालाब, नहर और वर्षा जल संचयन का एक नेटवर्क शामिल है। भारत में 160 मिलियन हेक्टेयर खेती योग्य भूमि है, जिसमें 39 मिलियन हेक्टेयर भूजल से सिंचित होती है, 22 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई नहरों द्वारा होती है, लेकिन लगभग दो तिहाई भूमि अभी भी मानसून पर निर्भर है। भारतीय कृषि मुख्य रूप से दक्षिण–पश्चिम ग्रीष्मकालीन जलवायु पर निर्भर है, जिससे फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलता है। भारत के कुछ हिस्सों में मानसून की कमी के कारण पानी कम हो जाता है, जिससे उस क्षेत्र में औसत से कम फसल की पैदावार होती है। यह विशेष रूप से प्रमुख सूखा प्रवण क्षेत्रों में होता है, जिसमें दक्षिण एवं पूर्वी महाराष्ट्र शामिल है। सूखे का अर्थव्यवस्था, समाज, पर्यावरण, सिंचाई, पशुधन, वन्य जीव, मिट्टी, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। नवीनतम निष्कर्ष बताते हैं कि पिछले तीन दशकों में वैकल्पिक सूखे और गीले मौसम रहे हैं, लेकिन भारत में सूखे के वर्षों की आवृत्ति में काफी वृद्धि हुई है। सूखे का मतलब कृषि के लिए समान्य से कम पानी की उपलब्धता है। सूखे के दौरान भूजल के बढ़ते उपयोग से इस अवधि में इसे दूर करने में मदद मिलती है, लेकिन भूजल के अत्यधिक दोहन से पानी की मात्रा तेजी से घटती है, जिससे कृषि उत्पादन पर अधिक दबाव पड़ता है। कई राज्य सरकार सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहन की पेशकश कर रही है, जैसे पंजाब सरकार भूजल पंपिंग के लिए मुफ्त बिजली, गुजरात एवं महाराष्ट्र सरकार सौर पंप पर सब्सिडी इत्यादि। देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सिंचाई की तीव्रता में भिन्नता है। ऊबड़–खाबड़ पहाड़, रेतीले रेगिस्तान, चट्टानी क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा खराब होती है, यहां से पानी निकालना कठिन होता है। जिन क्षेत्रों में बारहमासी नदियों की कमी है और वार्षिक वर्षा 100–125 सेमी से कम वहां भूजल और सूखे का संकट रहता है। वर्तमान में भारत उपलब्ध जल संसाधनों में कमी का सामना कर रहा है, जिसका प्रभाव कृषि क्षेत्र पर पड़ रहा है। देश के कई क्षेत्र जल संकट से जूझ रहे है, यदि जल उपयोग दक्षता में सुधार नहीं किया गया तो देश अगले 1 से 2 दशकों तक पानी की कमी से जूझ सकता है। कृषि क्षेत्र में जल उपयोग एवं दोहन में सर्वोत्तम जल उपयोग प्रौद्योगिकी, संसाधन, नीतियां, रणनीतियों के योगदान एवं उपाय पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कृषि क्षेत्र में जल उपयोगकर्ता की जागरूकता, उन्मुखीकरण, कुशल जल उत्पादन विधियों के अलावा सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने पर ध्यान के साथ जल उपयोग दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। Rajendra R- Chapke and Others (2017) का शोध पत्र किसानों की आय को दोगुना करने के लिए विदर्भ की कृषि–पारिस्थितिकी क्षमता, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, बढ़ते पानी की कमी, भूमि क्षरण के साथ क्षेत्रवार कृषि हस्तक्षेप का विश्लेषण करता है। समग्र रूप से भारत की तुलना में विदर्भ में किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव एवं प्रवृत्ति इस क्षेत्र में खेती को कमजोर कर सकती है। पानी की कमी और भूमि क्षरण फसल उत्पादन के लिए बाधा है। इसलिए इस क्षेत्र में जल के बेहतर उपयोग के लिए कम सिंचाई वाली फसलों के उत्पादन एवं कुशल सिंचाई विधियों को अपनाने की आवश्यकता है। विदर्भ क्षेत्र में सिंचाई का फैलाव राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। कृषि में बांधों एवं खुले कुएं की सिंचाई अधिकतम क्षेत्र को सिंचित करती है। कृषि जल उपयोग की कम दक्षता, बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती बहु–क्षेत्रीय जल मांग, गिरती जल उपलब्धता चिंता का कारण है। इसके लिए जल संचयन, जल संरक्षण प्रथाओं को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। किसानों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति जटिल और संसाधन सीमित हैं। किसान कई कारकों से प्रभावित हैं। इसके बावजूद कई पारंपरिक मोटे अनाज किसानों की आजीविका के प्रमुख स्रोत हैं, जहां उनकी आय बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक खेती, निवेश आपूर्ति, अनुसंधान, क्षमता निर्माण, विकास संगठनों का समर्थन, मूल्यवर्धन, सामुदायिक बाजार निर्माण, एमएसपी, फसल बीमा, प्रसंस्करण और गोदाम पर रणनीति की आवश्यकता है।

मरियाप्पन कारथीकेयन एवं देई झाऊ (2019) का शोध पत्र तमिलनाडु क्षेत्र में किसानों की आत्महत्या को कम करने की संभावना की पहचान के रूप में जैविक खेती के अर्थशास्त्र और दक्षता के साथ जैविक खेती की अवधारणा को देखता है। जैविक खेती के माध्यम से निवेश लागत को कम करके और खेती में उच्च लाभ के माध्यम से स्थायी अर्थव्यवस्था में प्रवेश किया जा सकता है। जैविक और पारंपरिक खेती के तरीकों के बीच खेती से लाभ में महत्वपूर्ण अंतर है। जैविक

खेती बेहतर जैविक खाद के साथ सतत कृषि विकास की अग्रणी अवधारणा है, जो मिट्टी की उर्वरता, बेहतर उपज, कम निवेश लागत और पारंपरिक खेती की तुलना में बेहतर लाभ वापसी में सुधार कर सकती है। जैविक खेती से खेती की लागत कम होने एवं छोटे पैमाने पर मामूली लाभ प्राप्त होने से गरीब एवं छोटे किसानों में किसान आत्महत्या जैसी सामाजिक–आर्थिक समस्याएं कम हो सकती हैं। यह कृषि उत्पादों एवं मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो एक स्वस्थ पर्यावरण के निर्माण में सहायक है। जैविक खेती में जागरूकता, उत्पाद विपणन चौनल, सरकारी प्रोत्साहन एवं प्रमाणीकरण की आवश्यकता है। यह लागत को कम करने, पर्यावरण को सुरक्षित रखने, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्रदान करने के साथ कृषि को स्थिरता प्रदान करने में सक्षम है।

जगजीत प्लाहे एवं अन्य (2017) का शोध पत्र विदर्भ में छोटे किसानों पर पारंपरिक मिश्रित फसल विधियों का उपयोग करके टिकाऊ खेती की ओर बढ़ने के प्रभाव का विश्लेषण करता है। महाराष्ट्र राज्य भारत में कुल कपास उत्पादन का 20 प्रतिशत और कपास की खेती के तहत कुल क्षेत्रफल का 30 प्रतिशत हिस्सा है। राज्य का पूर्वी विदर्भ क्षेत्र प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है, जहां लगभग 34 लाख किसान इस फसल की खेती करते है। जहां पिछले पंद्रह वर्षों में 60,670 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। कुछ किसान इस कृषि संकट का जवाब कम निवेश लागत, पारंपरिक एवं स्थायी कृषि विधि से कर रहे है, जिसे स्थानीय रूप से शाश्वत खेती के रूप में जाना जाता है। जिसने कृषि उत्पादन के निवेश पर स्थानीय नियंत्रण से विदर्भ में पारंपरिक कृषि का अभ्यास करने वाले परिवारों के सशक्तिकरण में योगदान दिया है। कृषि लागत में बाहरी बीज एवं कंपनियों पर निर्भर रहने के बजाय इसका उत्पादन घरेलू एवं गांव स्तर पर कर रहे हैं। देशी बीज बचाने, आदान–प्रदान करने, बीज संग्रह, प्रचार–प्रसार, कीट प्रबंधन, जैव कीटनाशक के उपयोग के साथ पारंपरिक ज्ञान को महत्व दिया है। शाश्वत खेती ने मृदा स्वास्थ्य और मृदा खाद्य जाल को बढ़ाया है। पारंपरिक ज्ञान के आधार पर बहु प्रथाओं ने प्राकृतिक कीट प्रबंधन, मिट्टी की संरचना में सुधार किया और मिट्टी में अधिक पानी बरकरार रखता है। शाश्वत खेती में किसानों के पास पौष्टिक और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त भोजन की अधिक विविधता देखी गई, जिसमें दाल, मौसमी सब्जियां, फल, औषधी एवं अनाज शामिल थे। इससे खाद्य सुरक्षा की मजबूती के संकेत मिलते हैं। इसके साथ ही किसानों में बीमारियों की प्रवृत्ति में कमी, पारिवारिक आय में वृद्धि, कृषि लागत में कमी देखी गई। यह पारंपरिक कृषि प्रथाओं की वापसी से संभव हुआ। किसान शाश्वत खेती के अभ्यास में नवाचार, ज्ञान का उत्पादन, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, स्वास्थ्य, पोषण, स्थायी आजीविका को बल मिला है।

शोध–पत्र का उद्देश्य

- विदर्भ में खेती–किसानी की वास्तविक स्थिति कैसी है?
- विदर्भ में खेती की स्थानीय पद्धति की विशिष्टता क्या थी और यह विदर्भ में कैसे लुप्त हुई?
- विदर्भ की खेती में सुधार एवं सतत विकास के लिए देशज समाज कार्य हस्तक्षेप क्या हो सकता है?

शोध–पत्र की प्रविधि

शोध पत्र मुख्यतः गुणात्मक प्रकृति पर आधारित है। प्राथमिक तथ्य उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के माध्यम से विदर्भ के पांच विषय विशेषज्ञों जिसमें किसान नेता (नागपुर), सामाजिक कार्यकर्ता (अमरावती), आधुनिक कृषि विशेषज्ञ (अकोला), पारंपरिक कृषि विशेषज्ञ (वर्धा), कृषि अभ्यासकर्ता (यवतमाल) एवं कृषि प्रशिक्षक (वर्धा) शामिल थे उनका विषय केंद्रित खुला साक्षात्कार एवं तीन किसान समूह जिसमें पारंपरिक खेती, आधुनिक खेती एवं मिश्रित खेती करने वाले 32 किसान (महिला, पुरुष एवं युवा) शामिल थे उनके साथ केंद्रित समूह चर्चा का आयोजन (फरवरी 2021 से सितंबर 2021 के मध्य) कर तथ्यों का संकलन किया गया। तथ्य संकलन उपकरण के रूप में क्षेत्र अवलोकन, असंरचित साक्षात्कार अनुसूची, खुले प्रश्नों की प्रश्न निर्देशिका, फील्ड नोट्स, ऑडियो रिकार्डिंग एवं छायाचित्र का उपयोग किया गया। द्वितीयक तथ्यों का संकलन संबंधित शोध–पत्र, शोध–आलेख, पुस्तक एवं वेबसाइट से एकत्र किया गया। तथ्य संकलन से प्राप्त धरातलीय अनुभवजन्य तथ्यों का विषयगत विश्लेषण कर शोध पत्र की व्यापक व्याख्या एवं संभावित देशज समाज कार्य हस्तक्षेप प्रस्तुत किया गया है।

परिणाम एवं विवेचना

विदर्भ में कृषि संकट के प्रमुख कारण एवं परिणाम को समझने के लिए दो दशक के शोध–पत्रों (तालिकारू 1) पर नजर डाली जाय तो कृषि संकट के कई कारण और उसके परिणाम उभर कर सामने आते हैं। प्रमुख कारणों में मानसून की अनिश्चितता, फसल विफलता की प्रवृत्ति, खेती की बढ़ती लागत, नगदी फसलों पर बढ़ती किसान की निर्भरता, रसायनिक खेती, सिंचाई साधनों का अभाव, वैश्विक बाजार व्यवस्था और बाजार कीमत, कृषि बीमा एवं कृषि उपकरणों की कमी दिखाई देती है। वही कृषि संकट के परिणाम में उत्पन्न होती वातावरणीय समस्याएं, सीमित होता उत्पादन, घटती आय, किसान ऋणग्रस्तता एवं कर्ज में बढ़त, मानसिक तनाव एवं विकार, आर्थिक असुरक्षा की भावना एवं आत्महत्या की प्रवृत्ति दिखाई देती है। कृषि संकट एवं किसानों की कठिनाइयों की समान्य स्वीकृति के बाद भी किसान संकट को मापने का कोई मानक नहीं है, लेकिन किसान आत्महत्या की बढ़ती संख्या से इसे देखा और समझा जा सकता है। कृषि संकट के परिणाम इशारा करते हैं कि कृषि सुधार अभी अधूरा है। जमीन पर बहुत कम बदलाव आया है और इस क्षेत्र में व्यापक सुधार एवं पुनर्जीवन की दरकार है।

तालिका 1: विदर्भ में कृषि संकट के प्रमुख कारण एवं परिणाम

क्रं. सं.	कृषि संकट	संदर्भ
1.	अनिश्चित मानसून, फसल की विफलता, खेती की बढ़ती लागत, कीमतों में गिरावट, कर्ज, किसान आत्महत्या।	मोहंती एवं श्राफ, 2004

2.	फसल विफलता की बारंबारता, मानसून की अनिश्चितता, सीमित उत्पादन, नगदी खेती पर बढ़ती निर्भरता, खेती की बढ़ती लागत, किसान कर्ज, किसान आत्महत्या।	टाटा इंस्टीट्यूट, 2005
3.	कृषि एवं उद्योग का सीमित विकास, वर्षा की कमी, सिंचाई की कमी, नगदी फसलों की खेती पर बढ़ती निर्भरता, किसान कर्ज, राज्य की नीतियां एवं सीमित आजीविका के वैकल्पिक साधन, किसान आत्महत्या।	के नागराज, 2008
4.	फसल विफलता, कृषि ऋण की उचित व्यवस्था, सिंचाई की कमी, खेती की बढ़ती लागत, किसान ऋणग्रस्तता, मानसिक तनाव, राजनैतिक इच्छा शक्ति में कमी, किसान आत्महत्या।	पी. बी. बेहरे एवं ए. पी. बेहरे, 2008
5.	वैश्विक अर्थव्यवस्था, जीएम फसल, पानी एवं सूखे की समस्या, कृषि बीमा की कमी, रासायनिक खेती, फसल विफलता, सरकारी नीति, किसान आत्महत्या।	जेन गुहा, 2012
6.	फसल विफलता, रसायनिक खेती, सिंचाई साधन का अभाव, खेती की बढ़ती लागत, फसल उपज की कम कीमत, कर्ज, नशे की लत, तनाव एवं पारिवारिक दायित्व, वातावरणीय समस्या, सरकारी उदासीनता, किसान आत्महत्या।	अमोल डोगरे एवं प्रदीप देशमुख, 2012
7.	वैश्विक बाजार एवं कीमत, खेती की बढ़ती लागत, खेती की विपरीत परिस्थिति, नकली बीज एवं रोग, सिंचाई की कमी, राज्य खरीद प्रणाली, ऋणग्रस्तता, किसान आत्महत्या।	श्रीनेत मिश्रा, 2014
8.	प्राकृतिक आपदाए मानसून की विफलताए सिंचाई की कमीए निम्न सफल उत्पादनए नवीन तकनीक एवं उपकरण की कमीए कृषि कर्जए खेती की बढ़ती लागतए घटती आयए खराब बीमा पॉलिसीए फसल नुकसानए खराब खरीदी तंत्रए किसान आत्महत्या।	निमबारते, 2016
9.	फसल का खराब होना, ऋणग्रस्तता, कम आय, उपज की अस्थिर कीमत, प्राकृतिक आपदा, कृषि बाजार, तकनीक की कमी, आय असमानता, सार्वजनिक एवं आर्थिक नीति, किसान आत्महत्या।	सोनावाने, 2016
10.	फसल की कम कीमत, बाजार व्यवस्था की प्रधानता, ऋण में बढ़ोतरी, ऋण विफलता, किसान आत्महत्या।	नारायणमूर्ति, 2018
11.	गिरती आय, फसल विफलता, प्राकृतिक आपदा, वातावरण का प्रभाव, आर्थिक संकट, कृषि ऋण, सामाजिक समर्थन की कमी, बढ़ती आर्थिक असुरक्षा की भावना, मानिसक विकार, किसान आत्महत्या।	प्रियंका बोंबले एवं हेमखोथंग, 2020

विदर्भ में खेती–किसानी की वर्तमान चुनौतियों को समझने के लिए विदर्भ के किसानों एवं कृषि विशेषज्ञों के साथ आयोजित केंद्रित समूह चर्चा एवं साक्षात्कार (तालिकाः 2) से कई विषय एवं उनके उप–विषय निकल कर सामने आते हैं। जिसे तालिकाः 2 में सूचीबद्ध किया गया है। जिसमें किसान फसल विफलता, सिंचाई की कमी, नगदी फसलों की खेती, खेती की बढ़ती लागत, बाजार पर निर्भरता, सीमित होता उत्पादन एवं बिगड़ती मिट्टी की सेहत, उपज की कम कीमत, सरकारी योजनाओं की असमानता, कृषि आधारित व्यवसाय की कमी, किसान कर्ज, मानसिक तनाव एवं किसान आत्महत्या जैसी अनेक चुनौतियों से जूझ रहे हैं।

तालिका 2: विषय विशेषज्ञ एवं किसानों के अनुसार विदर्भ में खेती–किसानी की वर्तमान चुनौतियां

विषय	उप–विषय
फसल विफलता	मिट्टी में नमी की कमी, कमजोर मानसून, एक फसलीय खेती, नकली बीज, जंगली जानवरों का प्रभाव, वातावरण में परिवर्तन, रोग का बढ़ता प्रभाव, आर्थिक संकट, कर्ज में बढ़ोतरी इत्यादि।
सिंचाई की कमी	वर्षा जल पर निर्भरता, कमजोर मानसून, पारंपरिक जल संरक्षण एवं तकनीक में कमी, अधिक सिंचाई की आवश्यकता, गिरता जल स्तर, आधुनिक सिंचाई उपकरणों की कमी, बिजली की सीमित आपूर्ति, सीमित उत्पादन इत्यादि।
नगदी खेती की प्रधानता	अधिक समय, सीमित फसल उत्पादन, अधिक उर्वरक, कीटनाशक एवं सिंचाई की आवश्यकता, व्यापारी अथवा बाजार के हाथ भाव, अनुपयोगी बीज, एक समय एवं अधिक उत्पादन से कम भाव, भंडारण का अभाव, उत्पादन सीधे खेत से बाजार, प्राकृतिक आपदा एवं कीट का अधिक खतरा, हरे चारे में कमी, जानवर कम, जैविक खाद में कमी, देशी बीज नष्ट, जहर की खेती का उदय, फसल गुणवत्ता प्रभावित इत्यादि।
खेती की बढ़ती लागत	नगदी खेती की प्रधानता, अधिक उत्पादन एवं आर्थिक लाभ की लालसा, अधिक रसायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक की मांग एवं कीमत, महंगे बीज, महंगी बिजली एवं डीजल, बढ़ता श्रम किराया,

	आधुनिक कृषि यंत्रों का किराया इत्यादि।
बाजार पर निर्भरता	महंगे उर्वरक, कीटनाशक, बीज, डीजल एवं अन्य कृषि लागत के लिए बाजार पर निर्भर, कृषि लागत में बढ़ता बाजार निवेश, कृषि आय के एक निश्चित हिस्से का बाहर जाना इत्यादि।
सीमित होता उत्पादन	फसल विफलता, सीमित फसलों की खेती एवं उनकी बारंबारता, अत्यधिक रसायन एवं उर्वरक का उपयोग, सिंचाई की कमी, मिट्टी की बिगड़ती सेहत, जैविक खेती की उपेक्षा, सीमित आर्थिक आय इत्यादि।
बिगड़ती मिट्टी की सेहत	अत्यधिक रसायन एवं उर्वरक का उपयोग, जल धारण क्षमता में कमी, मिट्टी में सूक्ष्म जीवों एवं पोषण तत्वों की कमी, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में कमी, सीमित होता उत्पादन इत्यादि।
उपज की कम कीमत	उपज की गुणवत्ता, सीमित फसल उत्पादन पर निर्भरता, एक समय पर अत्यधिक फसल उत्पादन, अस्थिर बाजार कीमत, सरकारी खरीदी तंत्र की विसंगतियां इत्यादि।
स्रकारी योजनाओं में असमानता	किसानों में जन–जागरूकता की कमी, सीमित प्रचार–प्रसार, योजनाओं में सीमित किसान लक्ष्य अथवा आकार, आवश्यक दस्तावेज, योग्यता एवं उसकी जटिल प्रक्रिया, लाभ हस्तांतरण की लंबी अवधि, किसान भूमि सीमा इत्यादि।
कृषि आधारित व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाई का अभाव	कुक्कुट, मछ्ली, मधुमक्खी, रेशम, दुधारू पशु, बकरी पालन एवं बागवानी इत्यादि की उपेक्षा, कृषि आधारित रोजगार में कमी, कृषि आधारित रोजगार में प्रोत्साहन की कमी, उत्पाद मूल्य संवर्धन एवं उचित बाजार की कमी इत्यादि।
किसान कर्ज	खेती की बढ़ती लागत, बढ़ती बाजार पर निर्भरता, घटता उत्पादन, प्राकृतिक आपदा, ऋणग्रस्तता, ऋण भुगतान में विफलता, आर्थिक संकट इत्यादि।
मानसिक तनाव	फसल विफलता, प्राकृतिक आपदा, खेती की बढ़ती लागत, खेती में भारी निवेश, रोजगार एवं जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन खेती, गिरती आय एवं बढ़ता कर्ज, खेती की प्रतिकूल होती दशाएं इत्यादि।
किसान आत्महत्या	फसल हानि, सीमित आय, ऋणग्रस्तता, पारिवारिक एवं मानसिक दबाव, आर्थिक असुरक्षा की भावना इत्यादि।

विदर्भ में खेती–किसानी की वर्तमान चुनौतियों को देखने से पता चलता है कि कृषि संकट के जो कारण एवं परिणाम दो दशक के आरंभ में दिखाई देते थे, वह आज भी जारी है। तमाम प्रयासों और दशकों निकल जाने के बावजूद भी किसानों को बेहतर टिकाऊ खेती की दशा और दिशा नहीं मिल पायी है और स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। वहीं कृषि विशेषज्ञ एवं किसान नगदी फसल और बाजार पर निर्भर खेती को वर्तमान खेती–किसानी में बड़ी चुनौती (तालिकाः 3) के रूप में देख रहे है। जिसके कारण रसायनिक एवं उर्वरक आधारित खेती का आरंभ हुआ है। जिसमें कृषि आय का एक विशेष हिस्सा संकर बीज, रसायनिक उर्वरक, कीटनाशक के लिए बाजार चला जाता है। एक तरफ इससे खेती की लागत बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण, मिट्टी, उत्पादन, पानी और स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। खेती में फसल विविधता, देशी बीज, पशुधन खत्म हो रहे हैं। खेती की लागत बढ़ने और उत्पादन घटने तथा फसल विफलता की प्रवृत्ति बढ़ने से किसान की आय सीमित हो जाती है। जिससे किसान मानसिक तनाव, ऋणग्रस्तता, आर्थिक संकट एवं कर्ज में फँस कर कृषि से विलगाव की तरफ बढ़ता है। बहुत से किसान इस परिस्थिति का सामना नहीं कर पाते हैं और वह अपना जीवन ही समाप्त कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में खेती–किसानी के व्यवसाय एवं सम्मान में क्षरण होता जा रहा है।

तालिका 3: विषय विशेषज्ञ एवं किसानों के अनुसार विदर्भ में खेती–किसानी की वर्तमान चुनौतियों का कारण एवं परिणाम

वहीं विदर्भ में खेती–किसानी की स्थानीय विशिष्टता की बात की जाय तो कृषि विशेषज्ञ एवं किसान मानते हैं कि विदर्भ में पहले बहु फसलीय खेती की परंपरा थी, जिसमें अल्प अवधि की फसलें प्रमुख थीं। किसान जैविक खाद का उपयोग करते थे और अपनी उपज का भंडारण करते थे। देशी जलवायु अनुकूल बीज होने से उन पर प्राकृतिक आपदा का सीमित प्रभाव पड़ता था, अगर थोड़ा बहुत पड़ा भी तो अल्प अवधि की फसलों से उसकी भरपाई हो जाती थी। बाजार

पर निर्भरता बहुत कम थी। अपना उर्वरक, कीटनाशक, बीज एवं पशुधन होता था। आज तो पशुओं का आहार तक बाजार से लेना पड़ रहा है। आज की खेती में लागत का हमारा 70 प्रतिशत पैसा बाजार जा रहा है, केवल 30 प्रतिशत श्रम का पैसा बच रहा है। किसान का उत्पादन सीमित होता था, लेकिन हमारे पास फसल की विविधता थी। किसान फसल का भंडारण करता था और बाजार भाव अच्छा रहने पर उसे बेचता था। लेकिन आज फसल होते ही बाजार निकालना मजबूरी बन जाता है। एक समय पर अधिक उत्पादन बाजार जाने से बिचौलियों को मौका मिलता है और बाजार में भाव भी कम हो जाता है।

तालिका 4: विषय विशेषज्ञ एवं किसानों के अनुसार विदर्भ में खेती–किसानी की स्थानीय विशिष्टता

विषय	उप–विषय
बहु फसलीय खेती	पाटा विधि, मिश्रित खेती, उड़द, मूंग, ज्वार, तुवर, मक्का, चना, जवस, देशी कपास की खेती, पोषण सुरक्षा, आय सुरक्षा, फसल विफलता से सुरक्षा, मिट्टी की सेहत अच्छी, पर्यावरणीय संतुलन इत्यादि।
अल्प अवधि की फसलें	70, 90, 120–150, 180–200 दिन की फसलें, प्राकृतिक आपदा का कम खतरा, आय का विकल्प, आर्थिक सुरक्षा, दैनिक खर्च, परिवारिक खर्च, खेती की लागत एवं फसल चक्र में अगली फसल की लागत खर्च की व्यवस्था में सहायक, सीमित सिंचाई की आवश्यकता, रसायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों से मुक्ति इत्यादि।
जैविक खाद का उपयोग	पशुधन की प्रधानता, उपजाऊ भूमि, मिट्टी में जल धारण क्षमता, कम सिंचाई की आवश्यकता, गुणवत्तापूर्ण फसल उत्पादन, खेती की लागत में कमी, पोषण युक्त अनाज, स्वस्थ मनुष्य एवं पर्यावरण इत्यादि।
उपज भंडारण	पारंपरिक ढोली, हांडी का उपयोग, बाजार भाव किसान के हाथ, वर्ष पर्यंत अनाज, आवश्यकता पर बाजार में बेचते, बिचौलियों को कम अवसर, उपज की अच्छी कीमत इत्यादि।
सीमित प्राकृतिक आपदा का प्रभाव	अल्प अवधि की फसलें, रोग का कम प्रभाव, कम आर्थिक नुकसान, जलवायु अनुकूल फसलों की खेती, सीमित सिंचाई की आवश्यकता इत्यादि।
देशी बीज	देशी बीज का उपयोग, देशी बीज संरक्षण एवं भंडारण, बाजार पर सीमित निर्भरता, कम पानी की आवश्यकता, खाद्य एवं पोषण, कम फसल विफलता, स्थानीय जलवायु अनुकूल फसल उत्पादन, कीट–रोग का कम प्रभाव इत्यादि।
सीमित बाजार निर्भरता	देशी बीज, कीटनाशक एवं जैविक खाद का उपयोग, सुरक्षित कृषि आय, देशी पशु चारा एवं अनाज इत्यादि।
टिकाऊ खेती	बहु–फसलीय खेती, अल्प अवधि की फसलें, जैविक खाद का उपयोग, देशी बीज, पशुधन, बागवानी, सीमित बाजार निर्भरता, कर्ज से मुक्ति, पोषक अनाज, स्वावलंबी खेती, किसान मानसिक तनाव एवं आत्महत्या की प्रवृत्ति से मुक्त इत्यादि।

विदर्भ में खेती–किसानी की स्थानीय विशिष्टता के लुप्त होने के कारणों में किसान अपने ज्ञान एवं अनुभव से समझाने का प्रयास करते हैं कि अधिक उत्पादन के लिए हम कुछ खास ही फसलों को लगाने लगे जिससे कि हमें अधिक आय मिल सके। आरंभ में अधिक उत्पादन और लाभ मिला भी जिससे हमारी निर्भरता और बढ़ती गई। लेकिन आज हमें उसका दुष्परिणाम भी झेलना पड़ रहा है। सरकार की तरफ से हमें सही जानकारी, मार्गदर्शन और सहायता नहीं मिली। जिसकी वजह से हमारी खेती पहले की तुलना में काफी बिगड़ गई है। उत्पादन गिरता जा रहा है और बेहतर कीमत भी नहीं मिल पा रही है। वहीं कृषि विशेषज्ञ इसे हरित क्रांति से जोड़ कर देखते हैं और मानते हैं कि हरित क्रांति का परिणाम कई क्षेत्रों, फसलों, जलवायु में अच्छा रहा है, लेकिन विदर्भ जैसे जटिल भौगोलिक एवं जलवायु क्षेत्र में यह अच्छा नहीं रहा है। यहां की मिट्टी एवं जलवायु संकर बीज एवं नगदी फसलों की खेती के लिए प्रतिकूल सिद्ध हुआ है। अधिकतर छोटे किसान आर्थिक संकट से गुजर रहे है। इस क्षेत्र में सरकार की नीति एवं दृष्टिकोण किसानों को टिकाऊ खेती की दशा और दिशा उपलब्ध कराने में विफल रही है। इस क्षेत्र की भौगोलिक बनावट एवं जलवायु स्थिति के अनुकूल किसानों को पारंपरिक खेती एवं आधुनिक संसाधन से जोड़ने की अवश्यकता है। किसानों में नगदी खेती की जगह बहु–फसलीय खेती, जैविक खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। तभी किसानों की लागत कम होगी और आय सुरक्षा बढ़ेगी। जिसके लिए सरकार को विशेष नीति एवं दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है।

तालिका 5: विदर्भ में खेती–किसानी की स्थानीय विशिष्टता के लुप्त होने का प्रमुख कारण

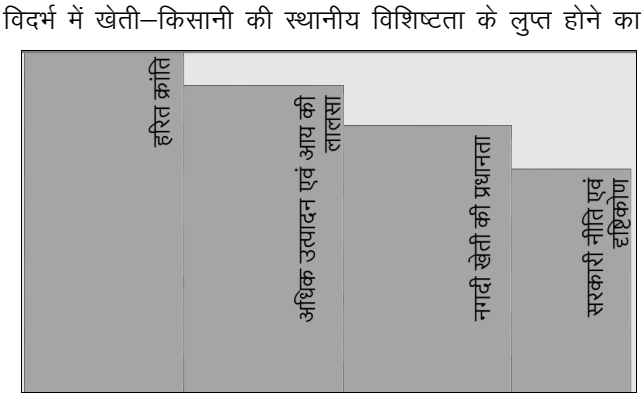

यहां विदर्भ में खेती–किसानी की स्थानीय विशिष्टता के लुप्त होने के परिणाम (तालिकाः 6) को संदर्भित किया गया है। कृषि विशेषज्ञ एवं किसान मानते हैं कि खेती–किसानी की स्थानीय विशिष्टता के लुप्त होने से कृषि–किसान की पूरी परिपाटी ही बदल गई है। जिसकी वजह से कृषि, किसान, फसलें, पर्यावरण, पोषण, आर्थिक संरचना और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कृषि विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि अगर हमें कृषि–किसान को पुनर्जीवित करना है, तो हमें स्थानीय विशिष्टता, ज्ञान एवं पारंपरिक खेती की प्रथाओं पर वापस लौटना होगा।

तलिका 6: विदर्भ में खेती–किसानी की स्थानीय विशिष्टता के लुप्त होने का परिणाम

विदर्भ में खेती-किसानी की स्थानीय विशिष्टता के लुप्त होने का परिणाम	फसल बहु-विविधता में कमी
	पारंपरिक अनाजों में कमी
	देशी बीज संरक्षण एवं संवर्धन की प्रवृत्ति समाप्त
	बाजार पर निर्भर खेती का उदय
	रसायन-उर्वरक आधारित खेती
	टिकाऊ खेती की जगह अधिक उत्पादन आधारित खेती
	पर्यावरण असंतुलन एवं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव
	जल दोहन एवं जल संकट
	फसल विफलता की बढ़ती प्रवृत्ति
	लुप्तप्राय होती फसल भंडारण की प्रवृत्ति
	कुपोषण की समस्या
	पशुधन एवं जैविक खाद में कमी
	गिरती जमीन की उपजाऊ क्षमता एवं उत्पादन
	खेती की लागत में बढ़ोतरी
	कर्ज आधारित खेती का उदय
	ऋणग्रस्तता, आर्थिक अनिश्चितता, आर्थिक असुरक्षा
	मानसिक तनाव एवं किसान आत्महत्या की प्रवृत्ति

विदर्भ की खेती–किसानी में सुधार एवं सतत विकास के लिए देशज समाज कार्य हस्तक्षेप की संभावनाएं

विदर्भ के किसान अपनी कृषि–किसानी, व्यवसाय, आर्थिक एवं सामाजिक विकास तथा जीवन के सभी रूपों के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकें और कृषि–किसानी की जटिलताओं, कठिनाइयों एवं समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सके । इसके लिए देशज समाज कार्य के संभावित हस्तक्षेप (तालिकाः 7) प्रस्तुत किए गए हैं। जो विदर्भ में कृषि–किसानी की आवश्यकताओं तथा समस्याओं को केंद्रित करने, उनका क्षेत्र एवं अर्थ स्पष्ट करने, उनकी पूर्ति तथा समाधान के लिए कार्यक्रम बनाने, आवश्यक संसाधनों को जुटाने, उनका उपयोग करने तथा कृषि को टिकाऊ बनाने में मदद कर सकता है।

तालिका 7: विदर्भ में देशज समाज कार्य हस्तक्षेप की संभावनाएं

देशज समाज कार्य के क्षेत्र	देशज समाज कार्य की संभावनाएं
किसान सशक्तिकरण एवं क्षमता निर्माण	किसानों में पारंपरिक एवं आधुनिक खेती की जानकारी, जागरूकता कार्यक्रम, मार्गदर्शन एवं निर्देशन कार्यक्रम, प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन कार्यक्रम, किसान ज्ञान केंद्र का विकास इत्यादि।
जल संरक्षण एवं प्रबंधन	किसानों में पारंपरिक जल संरक्षण एवं प्रबंधन के महत्व एवं उपयोगिता पर जागरूकता कार्यक्रम, स्थानीय जल संरक्षण एवं प्रबंधन की तकनीक एवं कौशल को बढ़ावा देना, गांव स्तर पर सामुदायिक जल संरक्षण एवं प्रबंधन समिति का गठन, वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था, आधुनिक सिंचाई उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देना इत्यादि।
मृदा संरक्षण एवं प्रबंधन	बहु–फसलीय, अल्प अवधि, मिश्रित खेती को बढ़ावा देना, पारंपरिक अनाज एवं दालों की खेती को बढ़ावा देना, भूमि क्षरण एवं प्रदूषण को रोकना, जैविक खेती को पुनर्जीवित करना, वृक्षारोपण, पहाड़ी क्षेत्र में कंटूर, पट्टीदार एवं सीढ़ीदार कृषि को बढ़ावा, मृदा संरक्षण एवं प्रबंधन पर जागरूकता, प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन इत्यादि।
बीज संरक्षण एवं संवर्धन	किसानों में स्थानीय जलवायु अनुकूल बीज संग्रह, संरक्षण एवं भंडारण के महत्व एवं उपयोगिता को बढ़ाना, बीज संरक्षण एवं संवर्धन के जैविक एवं प्राकृतिक तौर–तरीकों के शिक्षण, प्रशिक्षण एवं पुनर्जीवन को बढ़ावा देना, बीज संरक्षण एवं भंडारण की नवीन तकनीक का विकास करना, गांव स्तर पर देशी सामुदायिक बीज बैंक का विकास करना, बीज संरक्षण एवं संवर्धन की परंपरा को विकसित करना इत्यादि।
फसल बहु–विविधता	स्थानीय जलवायु एवं मिट्टी के अनुसार कृषि में फसल चक्र, बहु–फसल, अंतर–फसल, मिश्रित फसल, पॉलीकल्चर, अल्प अवधि की फसलें, फसल अंतराल के महत्व, लाभ एवं उपयोगिता पर जागरूकता कार्यक्रम, शिक्षण, प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन, किसानों में फसल बहु–विविधता को बढ़ावा एवं समर्थन देना, मोटे अनाज एवं दालों की फसलों को बढ़ावा देना इत्यादि।

जैविक खेती	स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर असुरक्षित कृषि प्रथाओं का हानिकारक प्रभाव, सुरक्षित खेती के प्रकार एवं उनकी विशेषताएं, जैविक खेती, जैविक खेती में लागत एवं लाभ वितरण, जैविक खेती में बहु–सफल विविधता, जैव–कीटनाशक, जैव–उर्वरक, जैविक खेती में कीट एवं खरपतवार प्रबंधन, विभिन्न प्रकार के खाद जैसे वर्मीकम्पोस्ट, नाडेप, बायोडायनामिक कम्पोस्ट, वर्मीवाश, गाय पैट–पिट, जीवामृत, बीजामृत, कीटनाशक के निर्माण एवं उत्पादन में उनका उपयोग, जैविक खेती का प्रमाणीकरण, विपणन, प्रसंस्करण, जैविक खेती का शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रदर्शन एवं मार्गदर्शन की व्यवस्था विकसित करना, संगठित जैविक खेती एवं जैविक उत्पाद को बढ़ावा देना इत्यादि।
फसल भंडारण एवं प्रबंधन	फसल भंडारण के पारंपरिक एवं वैज्ञानिक तौर–तरीकों की जानकारी, शिक्षण, प्रशिक्षण, उपज भंडारण सुविधा का विकास, फसल भंडारण की आवश्यक दशाएं एवं लाभ वितरण की जागरूकता, सफल भंडारण सुरक्षा एवं गुणवत्ता कौशल का विकास, अनाज उपलब्धता एवं उपयोगिता में वृद्धि, उपज मूल्य एवं बाजार स्थिरता को बढ़ावा इत्यादि।
कृषि उपकरण एवं औजार	श्रम लागत घटाने, उत्पादन एवं मुनाफा बढ़ाने के लिए पारंपरिक हस्तचालित एवं आधुनिक मशीनीकृत कृषि यंत्रों के विकास एवं उपयोग को बढ़ावा देना, गांव स्तर पर कृषि यंत्र एवं उपकरण बैंक का विकास, कृषि उपकरण एवं औजार क्रय के लिए वित्तीय सहायता, सरकारी कृषि योजनाओं में किसानों के जुड़ाव को बढ़ावा देना, छोटे एवं सीमांत किसानों के बीच कृषि उपकरण एवं औजार की उपलब्धता, जागरूकता एवं उपयोगिता को बढ़ाना इत्यादि।
कृषि आधारित व्यवसाय	कृषि आधारित व्यवसाय के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रदर्शन, मार्गदर्शन एवं वित्तीय सहयोग की व्यवस्था, दुधारू पशु, बकरी, भेड़, मछली, मुर्गी, मधुमक्खी, रेशम पालन को बढ़ावा देना, मशरूम, फूल, फल, बांस, लकड़ी एवं औषधी खेती को बढ़ावा देना, पशुधन चारा उत्पादन, बीज उत्पादन एवं विपणन, जैविक उर्वरक एवं कीटनाशक उत्पादन, दूध एवं मांस उत्पादन, कृषि गोदाम एवं नर्सरी स्थापन एवं प्रबंधन इत्यादि।
मूल्य संवर्धन एवं खाद्य प्रसंस्करण	किसानों में उत्पाद की कटाई, छंटाई, सफाई, ग्रेडिंग, पैकिंग, डिजाइन, लेबलिंग, गुणवत्ता प्रबंधन एवं विपणन की जानकारी का विकास, मसाला, सोयाबीन, मूंगफली, आटा, दाल, तेल प्रसंस्करण एवं विपणन, दूध एवं मास आधारित उत्पाद प्रसंस्करण एवं विपणन, फल एवं फूल आधारित उत्पाद, शहद उत्पादन, कृषि में मूल्य संवर्धन एवं प्रसंस्करण की तकनीक एवं उपयोगिता का विकास, खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक जानकारी, शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रदर्शन, मार्गदर्शन एवं वित्तीय सहयोग की व्यवस्था करना इत्यादि।
नेटवर्क विकास	कृषि–किसान एवं देशज समाज कार्य अभ्यास जैसे समान हितों एवं लक्ष्यों वाले स्वयंसेवी संगठनों की नेटवर्किंग एवं नेटवर्क विकास, उपलब्ध संसाधन का बेहतर उपयोग, कृषि आधारित जानकारी, अनुभव, अभ्यास एवं हस्तक्षेप का आदान–प्रदान, सफल कृषि हस्तक्षेप एवं मॉडल का प्रदर्शन एवं विस्तार, किसानों की समस्याओं एवं चुनौतियों के समाधान के लिए नीति निर्माण एवं दबाव समूह का गठन इत्यादि।
संस्थागत समर्थन	समाज कार्य के अकादमिक गतिविधियों एवं अभ्यास में कृषि–किसान की समस्याओं एवं उनके समाधान को प्रस्तुत करना, किसान विमर्श एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, पारंपरिक एवं स्थानीय खेती की विशिष्टताओं को सामने लाना एवं उनका दस्तावेजीकरण करना, कृषि–किसान के लिए देशज समाज कार्य हस्तक्षेप उपलब्ध कराना, अकादमिक पाठ्यक्रम में देशज अभ्यास एवं शोध को बढ़ावा देना, स्थानीय जलवायु अनुकूल फसल उत्पादन, मौसम की भविष्यवाणी, कृषि आधारित आवश्यक संसाधन, नवीन एवं पारंपरिक कृषि प्रथाओं में कुशल किसानों की शृंखला अथवा सामुदायिक कृषि कार्यकर्ता तैयार करना इत्यादि।
निविष्ट (इनपुट) समर्थन	व्यक्तिगत की जगह किसान समूह के निविष्ट समर्थन पर ध्यान देना, छोटे एवं सीमांत किसानों को लक्षित करना, कृषि निविष्ट समर्थक योजना, अनुदान, वित्तीय सहयोग तक किसान की पहुंच बढ़ाना, निविष्ट समर्थन के लिए किसान समूह, संस्था, सहकारी समिति, ग्रामसभा को तैयार करना, उनको प्रशिक्षण एवं समर्थन देना, स्थानीय किसानों की भागीदारी निविष्ट प्रदाता के रूप में बढ़ाना, निविष्ट प्रदाता संस्थाओं में पारदर्शिता एवं सहयोग को बढ़ावा देना, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के गहन उपयोग को बढ़ावा देना इत्यादि।
वित्तीय समर्थन	छोटे एवं सीमांत किसानों में संस्थानिक कृषि ऋण, कृषि बीमा के लिए प्रोत्साहित करना, वित्तीय समर्थक योजनाओं, कार्यक्रमों की जानकारी एवं शिक्षण प्रदान करना, कृषि उपकरण अनुदान एवं वित्तीय सहायता की जानकारी एवं किसान जुड़ाव को बढ़ावा देना, वित्तीय एवं जोखिम प्रबंधन पर शिक्षण एवं प्रशिक्षण देना इत्यादि।
बाजार समर्थन	किसान संगठित बाजार का विकास करना, बिचौलियों के दखल को कम करना, किसान एवं उपभोक्ता जुड़ाव को बढ़ावा देना, किसान समूह, किसान सहकारी समिति, किसान उत्पादक संघ को बढ़ावा देना, किसान मेला, किसान हाट, किसान प्रदर्शनी, स्थानीय श्रेष्ठ उत्पाद का प्रचार–प्रसार एवं प्रोत्साहन देना, किसानों में नवीन सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक

	एवं अवसर की उपलब्धता एवं उपयोगिता को बढ़ाना, कृषि में स्टार्ट–उप को प्रोत्साहन देना, न्यूनतम समर्थन मूल्य तक किसान की पहुंच बढ़ाना इत्यादि।
नीतिगत समर्थन	किसान केंद्रित स्वावलंबी खेती के लिए एडोकेसी, नीति निर्माण एवं समर्थन को बढ़ावा देना, छोटे एवं सीमांत किसानों को आर्थिक सुरक्षा समर्थन, कृषि में लोचदार ऋण एवं बीमा की व्यवस्था, आधुनिक कृषि एवं सिंचाई उपकरण, बिजली, डीजल पर अनुदान एवं वित्तीय मदद, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उपज खरीदी की उचित व्यवस्था, कृषि आधारित व्यवसाय, कृषि उत्पाद मूल्य संवर्धन एवं प्रसंस्करण को प्रोत्साहन एवं नीतिगत समर्थन, किसान आधारित संगठित बाजार को बढ़ावा, जंगली जानवरों से सुरक्षा एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहन एवं नीतिगत समर्थन इत्यादि।
कृषि–किसान रोल मॉडल का विकास एवं प्रदर्शन	स्थानीय क्षेत्रों में रोल मॉडल किसान की पहचान, प्रगतिशील किसानों को सामने लाना, किसानों की सीधी पहुंच एवं जुड़ाव को बढ़ावा देना, किसानों में देखने, सीखने एवं करने की प्रेरणा का विकास करना इत्यादि।

विदर्भ की कृषि–किसानी को किसान केंद्रित एवं स्वावलंबी बनाने में सरकारी एवं गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। विदर्भ की कृषि में सुधार एवं सतत विकास के लिए दोनों को मिलकर इस क्षेत्र में सक्रिय प्रयास एवं अभ्यास करने की आवश्यकता है। जिसमें किसानों के सशक्तिकरण एवं क्षमतावर्धन पर ध्यान देने, गांव स्तर पर किसान ज्ञान केंद्र के विकास और किसानों को उससे जोड़ने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जल संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण, भूमिगत जल क्षमता बढ़ाना, कुएं, तालाब, रिचार्ज पीट, नाला खोलीकरण, कच्चा–पक्का बांध, बाड़बंदी, वृक्षारोपण पर ध्यान देने के साथ किसानों में जागरूकता, प्रशिक्षण एवं आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। कृषि संकट को कम करने तथा सतत कृषि विकास के लिए मृदा संरक्षण एवं प्रबंधन, बीज संरक्षण एवं संवर्धन, फसल बहु–विविधता, जैविक खेती, फसल भंडारण एवं प्रबंधन की उचित दशाओं के विकास के साथ कृषि उपकरण एवं औजार पर ध्यान देने तथा किसानों के बीच सभी के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रदर्शन एवं मार्गदर्शन की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि आधारित व्यवसाय के अन्य सभी अवसरों के विकास और उत्पाद मूल्य संवर्धन एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए नवीन प्रथाओं को विकसित करने तथा किसानों को उससे जोड़ने पर ध्यान देना चाहिए। सतत कृषिगत अभ्यास में संलग्न संस्थाओं एवं संगठनों के नेटवर्क विकास के साथ किसानों को संस्थागत, निविष्ट, वित्तीय एवं बाजार समर्थन के विकल्पों को बढ़ाने और किसानों तक उनकी उपलब्धता बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए किसानों में संगठित बाजार के विकास के लिए किसान समूह, किसान समिति, किसान उत्पादक संघ जैसे प्रयोगों को बढ़ावा देना। किसानों तक एमएसपी, फसल बीमा, कृषि अनुदान, कृषि ऋण इत्यादि की जानकारी एवं पहुंच को बढ़ाना। कृषि–किसान रोल मॉडल का विकास एवं प्रदर्शन को बढ़ावा देना, ताकि अन्य किसानों तक सतत कृषि अभ्यास एवं टिकाऊ खेती की जानकारी एवं सीखने की प्रेरणा का विकास संभव हो सके।

निष्कर्ष एवं सुझाव

विदर्भ में आजीविका का प्रमुख स्रोत कृषि है। महाराष्ट का विदर्भ क्षेत्र कपास उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। कपास यहां के किसानों की आर्थिक समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जिसे 'सफेद सोना' भी कहा जाता है। लेकिन आज यह कपास उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र 'किसान आत्महत्या प्रवण क्षेत्र' के रूप में जाना जाता है। विदर्भ में किसान आत्महत्या की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जो ढ़ाई दशक से जारी है। विदर्भ का किसान बढ़ती कृषि लागत एवं किसान कर्ज, कम होता उत्पादन एवं फसलों की कीमत में अनिश्चितता, कृषि सिंचाई की कमी एवं प्राकृतिक आपदा, ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के अभाव एवं अंतर्दृष्टि की कमी जैसे अनेक कारकों से जूझ रहे हैं। विदर्भ में पहले बहु–फसलीय खेती की संस्कृति थी। जिसमें कम पूंजी, कम सिंचाई, कम खाद एवं स्वयं के बीज होते थे, जो किसान को कर्ज की तरफ नहीं जाने देते थे। किसान स्वावलंबी तथा खेती टिकाऊ थी, लेकिन आज विदर्भ में नगदी खेती की संस्कृति जोरों पर है। जिसके लिए भारी पूंजी, रसायन, कीटनाशक, सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। जिसके बाद मिट्टी की सेहत बिगड़ती जा रही है। किसान सीमित उत्पादन, प्राकृतिक आपदा, दाम की अस्थिरता के बीच लागत मूल्य का उचित लाभ नही मिल पाने से कर्ज में फँस जाता है। आर्थिक असुरक्षा की भावना और परिवार संचालन की जटिलताओं के बीच मानसिक तनाव का सामना करता है। बढ़ता कृषि संकट और मानसिक तनाव किसान आत्महत्या का कारण भी बनाता है। विदर्भ का कृषि संकट इशारा करता है कि कृषि सुधार अभी अधूरा है। कृषि–किसान की दशा और दिशा में व्यापक सुधार एवं पुनर्जीवन की दरकार है। कृषि विशेषज्ञ एवं किसान नगदी फसल और बाजार पर निर्भर खेती को वर्तमान कृषि–किसानी में बड़ी चुनौती के रूप में देख रहे हैं। कृषि में सुधार एवं विकास के लिए पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ कृषि पद्धति की आवश्यकता है। जिसके लिए स्थानीय ज्ञान परंपरा तथा पारंपरिक कृषि प्रथाओं को देखना आवश्यक है। वर्तमान समय में किसान केवल आधुनिक कृषि प्रथाओं की तरफ आकर्षित है। कृषि में किसी एक पद्धति के आधार पर कृषि में सुधार एवं विकास संभव नहीं है। इसलिए हमें कृषि में आधुनिक एवं पारंपरिक प्रथाओं में मौजूद सतत अभ्यास एवं टिकाऊ कृषि पद्धति को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। कृषि को आर्थिक रूप से फायदेमंद बनाने के लिए हमें परंपरागत ज्ञान, पर्यावरणीय चेतना, जैव–प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार तकनीक से जोड़ने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से देशज समाज कार्य के संभावित हस्तक्षेत को अपनाने तथा अभ्यास में लाने की जरूरत है।

संदर्भ

1. डॉ. जीएन, निमबारते. (2016). ए होलिस्टिक ओवरव्यू ऑफ फार्मर्स प्रोब्लेम इन विदर्भ रीजन ऑफ महाराष्ट्र. इंटरनेशनल रिसर्च ऑफ करेंट रिसर्च, 8, (02), 26327–26329.

2. डॉ. राजू एम, ठाकरे. – कल्पना आर, ठाकरे. (2016). एग्रिकल्चर प्रैक्टिसेस सस्टेनिबिलिटि इन विदर्भ. इंटरनेशनल ओर्गनाइजेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च जर्नल, 9, (07), 05–10.
3. डॉ. विभा, दीवान. (2017). वॉटर एंड एग्रिकल्चर इन इंडिया. ओएवी–जर्मन एशिया पैसिफिक बिजनस असोशिएशन.
4. https://www.oav.de/fileadmin/user_upload/***5***_Publikationen/***5***_Studien/170118_Study_Water_Agriculture_India.pdf (oav.de)
5. राजेंद्र आर, चापके., बी, दयाकार. – विलास ए., तोनापी. (2017). रोल ऑफ मिलेट्स इन डबलिंग फार्मर्स इनकम एंड सस्टेनेबल डेवेलोपमेंट ऑफ विदर्भ रीजन ऑफ महाराष्ट्र. एसीएआर–इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च राजेंद्रनगर हैदराबाद. KRISHI Publication and Data Inventory Repository: Role of millets in doubling farmers' income and sustainable development of Vidarbha region of Maharashtra (icar.gov.in)
6. मरिअप्पन, कर्थिकेयन. – डेयी, झाउ. (2019). ए थ्रेट ऑफ फार्मर्स सूइसाइड एंड द ऑपर्चुनिटी इन ओर्गेनिक फर्मारिंग फॉर सस्टेनबले एग्रिकल्चर डेवेलोपमेंट इन इंडिया. सस्टेनेबिलिटी, 11, 2400. https://doi-org/10-3390/su11082400
7. जगजीत, प्लाहे., सराह, राइट., – मिरियम, मरेम्बो. (2017). लाइवलिहूड क्राइसेस इन विदर्भ, इंडियाः फूड सोवेरेगन्टी थ्रू ट्रेडीसनल फर्मिंग सिस्टम एज ए पॉसिबल सोल्यूसन, साउथ एशिया. जर्नल ऑफ साउथ एशियन स्टडीस, 40:3, 600–618. https://doi-org/10-1080/00856401-2017-1339581
8. तालूले, द्यनांदेव. (2020). फार्मर्स सूइसाइड इन महाराष्ट्र, 2001–2018 ट्रेंड्स एक्रोस मराठवाडा एंड विदर्भ. इकनॉमिक – पॉलिटिकल वीकली, वोलुम एलवी, न. 25, 116–125.
9. तालूले, द्यनांदेव. (2013). पॉलिटिकल इकनॉमिक ऑफ एग्रिकल्चर डिस्ट्रेस एंड फार्मर्स सूइसाइड इन महाराष्ट्र. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइन्स एंड इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च, वोलुम 2, न. 2, 95–123.
10. मिश्रा, श्रीजीत. (2016). फार्मर्स सूइसाइड इन इंडिया, 1995–2012 मेजरमेंट एंड इंटरप्रटेशन. एशिया रिसर्च सेंटर.
11. ARCWP62 Farmers' Suicides in India 1995&2012: http://www-askforce-org/web/HerbizideTol/Mishra&Farmers&Suicides&India&1999&2012-pdf
12. नारायणमूर्थी, ए. (2018). पोस्ट हार्वेस्टिंग रिकवायरमेंट्स फॉर रिडुसिंग द गैप बीटवीन व्हाट कॉनजुमर्स पे एंड फार्मर्स रिसिव. इंडियन जर्नल ऑफ एग्रिकल्चर एकोनोमिक्स, वोलुम 73, न. 3, 421–430.
13. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस. (2005). कॉजेज ऑफ फार्मर्स सूइसाइड इन महाराष्ट्रः एनकव्वायरी. http://www-tiss-edu/Causes%20of%20Farmer%20Suicides%20in%20Maharashtra-pdf
14. नागराज, के. (2008). फार्मर्स सूइसाइड इन इंडियाः मैग्निटूड्स, ट्रेंड्स एंड स्पेसल पैटर्न. मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवेलोपमेंट स्टडीस. http://www-macroscan-org/anl/mar08/pdf/farmers_suicides-pdf
15. बेहरे, पी. बी. – बेहरे, ए. पी. (2008). फार्मर्स सूइसाइड इन विदर्भ रीजन ऑफ महाराष्ट्र स्टेटः ए मिथ ऑर रिऐलिटि? इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्रिक, 50, 2, 124–127. https://doi-org/10-4103/0019&5545-42401
16. गुहा, जेनिफर. (2012). फार्मर्स सूइसाइड इन महाराष्ट्र, इंडियाः फैक्ट्स, फैक्टर्स, एंड पॉसिबल फिक्सेस. ऑनर्स स्कॉलर थेसेस. 235. https://opencommons-uconn-edu/srhonors_theses/235
17. मोहंती, बीबी. – संगीता, श्राफ. (2004). फार्मर्स सूइसाइड इन महाराष्ट्र. इकनॉमिक – पॉलिटिकल वीकली, वोलुम 39, न. 52, 5599–5606.
18. डोंगरे, ए. आर. – देशमुख, पी. आर. (2012). फार्मर्स सूइसाइड इन द विदर्भ रीजन ऑफ महाराष्ट्र इंडियाः ए क्वालिटेटिव एक्सप्लोरेशन ऑफ देयर कॉजेज. जर्नल ऑफ इंजूरी एंड वैलेंस रिसर्च, वालुम 4, न. 1, 2–6.
19. सोनावाने, एस. टी. (2016). क्रिटिकल स्टडि ऑफ फार्मर्स सूइसाइड इन महाराष्ट्र–कॉजेज एंड रेमीडीइज. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इनोवेटिव रिसर्च इन साइन्स, इंजीनियरिंग एंड टेकनोंलॉजी, वोलुम 5, 11, 20150–20155. https://doi-org/10-15680/IJIRSET-2016-0511149
20. प्रियंका, बोंबले. – हेमखोथंग. (2020). मेंटल हेल्थ स्टेटस ऑफ फार्मर्स इन महाराष्ट्र, इंडियाः ए स्टडि फ्रोम सूइसाइड प्रोन एरिया ऑफ विदर्भ रीजन. क्लिनिकल एपीडेमोलॉजी एंड ग्लोबल हेल्थ, 8, 3, 684–688. https://doi-org/10-1016/j-cegh-2020-01-002
21. द हिंदू. (03, मार्च 2020). 1286 फार्मर्स एंडेड लाइव्स इन विदर्भ लास्ट इयरः मिनिस्टर. Retrieved नवंबर 20, 2021, from 1,286 farmers ended lives in Vidarbha last year: Minister & The Hindu
22. द टाइम्स ऑफ इंडिया. (06 जून, 2020). कोविड टेक्स टोल ऑन प्रोब इनटू विदर्भ फार्मर्स सूइसाइड. Retrieved नवंबर 20, 2021, from Covid takes toll on probe into Vidarbha farmers' suicide | Nagpur News & Times of India (indiatimes-com)
23. द इंडियन एक्स्प्रेस. (07 जनवरी, 2020). महाराष्ट्रः विदर्भ रेकॉर्ड्स 4.48 पर्सेंटेज ड्रॉप इन फार्मर सूइसाइड फ्रोम लास्ट इयर. Retrieved नवंबर 20, 2021, from Maharashtra: Vidarbha records 4-48 pc drop in farmer suicides from last year | Cities News, The Indian Express
24. द टाइम्स ऑफ इंडिया. (08 जनवरी, 2020). इन एलेवन मंथस, 2,270 फार्मर सूइसाइड इन महाराष्ट्र. Retrieved नवंबर 20, 2021, from In 11 months, 2,270 farmer suicides in Maharashtra | Mumbai News & Times of India (indiatimes-com)
25. द टाइम्स ऑफ इंडिया. (29 अक्टूबर, 2021). सूइसाइड ऑफ एग्रिकल्चरल लेबरर्स राइज बाइ 18ः एनसीआरबी रिपोर्ट. Retrieved नवंबर 20, 2021, from Suicides of agricultural labourers rise by 18%: NCRB report | India News & Times of India (indiatimes-com)
26. स्क्रॉल. इन. (20 अगस्त, 2021). स्टेटिस्टिक्स सेय नियर्ली 4,00,000 फार्मर्स कॉमिटेड सूइसाइड इन इंडिया बिटवीन 1995 एंड 2018. ह्वाई? Retrieved नवंबर 20, 2021, from Statistics say nearly 4,00,000 farmers committed suicide in India between 1995 and 2018- Why? (scroll-in)

27. बिजनेस टूडे. इन. (08 दिसंबर, 2021). इंडिया वेरी अनइक्वल, टॉप 1: ओन 33: ऑफ द कंट्री वैल्थः वर्ल्ड इनइक्वलिटि रिपोर्ट. Retrieved दिसंबर 10, 2021, from India very unequal; top 1% own 33% of the country's wealth: World Inequality Report & Business Today
28. द इंडियन एक्स्प्रेस. (11 अक्टूबर, 2020). फार्मर्स सूइसाइड हाइयेस्ट इन महाराष्ट्र डिसपाइट लोन वेयवेर, रिफॉर्म मेजर्स. Retrieved दिसंबर 10, 2021, from Farmers" suicides highest in Maharashtra despite loan waiver, reform measures | India News, The Indian Express
29. परी. (21 जुलाई, 2014). महाराष्ट्र क्रॉस 60,000 फार्म सूइसाइड. Retrieved 10 दिसंबर, 2021, from Maharashtra crosses 60, 000 farm suicides (ruralindiaonline-org)
30. द टाइम्स ऑफ इंडिया. (03 मार्च, 2020). महाराष्ट्र रिकार्डेड 32,605 फार्मर्स सूइसाइड केस इन 19 इयर्सः गवर्नमेंट. त्मजतपमअमक दिसंबर 10, 2021, from Maharashtra Suicide Cases: Maharashtra recorded 32,605 farmer suicide cases in 19 years | Mumbai News & Times of India (indiatimes-com)
31. वर्ल्ड पॉप्युलेशन रिविय़ू. (2021). जीडीपी रैंक बाइ कंट्री 2021- Retrieved दिसंबर 10, 2021, from GDP Ranked by Country 2021 (orldpopulationreview-com)
32. गांव कनेक्शन. (07 मार्च, 2018). देशी बीज अपनाएंगे तभी मिटेगी हर पेट की भूख, बढ़ेगी किसानों की आमदनी. Retrieved दिसंबर 10, 2021, from देसी बीज अपनाएंगे तभी मिटेगी हर पेट की भूख, बढ़ेगी किसानों की आमदनी (gaonconnection-com)
33. जनचौक. (18 नवंबर, 2021). किसानों की आत्महत्याएं बताती है कृषि संकट की गहराई. Retrieved दिसंबर 10, 2021, from किसानों की आत्महत्याएं बताती हैं कृषि संकट की गहराई (janchowk-com)
34. एसएएनडीआरपी. (31 दिसंबर 2014). विदर्भः द वोर्स्ट प्लेस इन द नेशन टु बी ए फार्मर? Retrieved दिसंबर 10, 2021, from Vidarbha: "The worst place in the nation to be a farmer" – SANDRP